

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2020—आश्विन 17, शक 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सैय्यद मुस्तफा अली आत्मज स्व. मुरतजा अली, उम्र 53 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 2/ए, सड़क नं.-09, सेक्टर-2, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ, यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ, मेरे सर्विस रिकार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम सैय्यद मुरतजा अली (SAYYAD MURTUZA ALI) दर्ज है, जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम मुरतजा अली (MURTAZA ALI) है, जो कि उनके पेनकार्ड, पासपोर्ट व मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज है। मैं अपने सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरे पिता के नाम को परिवर्तित कर वास्तविक नाम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे सैय्यद मुस्तफा अली (SAYYAD MUSTAFA ALI) आत्मज स्व. मुरतजा अली (LATE MURTAZA ALI) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

सैय्यद मुस्तफा अली
(SAYYAD MUSTAFA ALI)
पिता-स्व. सैय्यद मुरतजा अली
(S/o-LATE SAYYAD MURTUZA ALI)
निवासी-क्वा. नं. 2/ए,
सड़क नं.-09,
सेक्टर-2, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

सैय्यद मुस्तफा अली
(SAYYAD MUSTAFA ALI)
पिता-स्व. मुरतजा अली
(S/o-LATE MURTAZA ALI)
निवासी-क्वा. नं. 2/ए,
सड़क नं.-09,
सेक्टर-2, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रिया अग्रवाल ध. प. प्रशांत कुमार अग्रवाल, उम्र 30 वर्ष, निवासी-मकान नं.-13 डी., अशोक भवन, चंडी मंदिर के पास, गोड पारा, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम दुलारी आत्मजा गंभीरा था। जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। मेरा विवाह दिनांक 28-02-2020 को श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल के साथ संपन्न हुआ। विवाह पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम प्रिया अग्रवाल रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे प्रिया अग्रवाल (Priya Agrawal) ध. प. प्रशांत कुमार अग्रवाल (Prashant Kumar Agrawal) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
दुलारी (DULARI) पिता-श्री गंभीरा (D/o-SHRI GAMBHIRA) निवासी-क्वा. नं.-08 एफ., सड़क-28, सेक्टर-10, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	प्रिया अग्रवाल (Priya Agrawal) पति-प्रशांत कुमार अग्रवाल (W/o- Prashant Kumar Agrawal) निवासी-मकान नं.-13 डी., अशोक भवन, चंडी मंदिर के पास, गोड पारा, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शमा मुसले ध. प. श्रीकांत मुसले, उम्र 51 वर्ष, निवासी-149-बी, वार्ड नं.-7, मैत्री विहार, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) पिन- 490023 की हूँ। यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम श्यामा मुसले (SHYAMA MUSLE) दर्ज है, जबकि मेरा वास्तविक नाम शमा मुसले है। मैं अपने वास्तविक नाम को मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे शमा मुसले (SHAMA MUSLE) ध. प. श्रीकांत मुसले के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
श्यामा मुसले (SHYAMA MUSLE) पति-श्रीकांत मुसले निवासी-149-बी, वार्ड नं.-7, मैत्री विहार, सुपेला, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) पिन- 490023	शमा मुसले (SHAMA MUSLE) पति-श्रीकांत मुसले निवासी-149-बी, वार्ड नं.-7, मैत्री विहार, सुपेला, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) पिन- 490023

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, निवेश विजयन आत्मज आर. विजयन, उम्र 31 वर्ष, निवासी- एम. आई. जी.-26, वैशाली नगर, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, पेनकार्ड, आधार कार्ड, सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम वी. निवेश तथा मेरे पासपोर्ट में विजयन निवेश नायर दर्ज है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम निवेश विजयन रख लिया हूँ। तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे निवेश विजयन (NIVESH VIJAYAN) आत्मज आर. विजयन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

वी. निवेश
(V.NIVESH)
विजयन निवेश नायर
पिता- आर. विजयन
निवासी-एम. आई. जी.-26,
वैशाली नगर, सुपेला, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

निवेश विजयन
(NIVESH VIJAYAN)
पिता- आर. विजयन
निवासी-एम. आई. जी.-26,
वैशाली नगर, सुपेला, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रत्ना मढ़रिया ध. प. श्री उगेश्वर मढ़रिया, उम्र 48 वर्ष, निवासी-ग्राम पहांडोर तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, राजस्व अभिलेखों में मेरा नाम श्री कुमारी दर्ज है। मेरा विवाह श्री उगेश्वर मढ़रिया के साथ संपन्न हुआ। विवाह पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम रत्ना मढ़रिया रख ली हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे श्रीमती रत्ना मढ़रिया ध. प. श्री उगेश्वर मढ़रिया के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

श्री कुमारी
पिता-स्व. तखतराम
निवासी-ग्राम-पहांडोर,
तहसील-पाटन,
जिला- दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती रत्ना मढ़रिया
पति- श्री उगेश्वर मढ़रिया
निवासी-ग्राम-पहांडोर,
तहसील-पाटन,
जिला- दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजेश्वर राव आत्मज श्री अप्पाराव, उम्र 43 वर्ष, निवासी-सड़क नं.-66, क्वा. नं.-7 डी, सेक्टर-6, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। पूर्व में मेरे पुत्र का नाम जिज्ञासु था जो कि मेरे सर्विस रिकार्ड, उसके आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है। मैंने अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम मल्लारेड्डी जिज्ञासु रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मेरे पुत्र को मल्लारेड्डी जिज्ञासु (MALLAREDDY JIGYASU) आत्मज राजेश्वर राव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

जिज्ञासु
(JIGYASU)
पिता- राजेश्वर राव
निवासी-सड़क नं.-66,
क्वा. नं.-7 डी,
सेक्टर-6, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

मल्लारेड्डी जिज्ञासु
(MALLAREDDY JIGYASU)
पिता- राजेश्वर राव
निवासी-सड़क नं.-66,
क्वा. नं.-7 डी,
सेक्टर-6, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मल्लारेड्डी लता ध. प. श्री राजेश्वर राव, उम्र 30 वर्ष, निवासी-सड़क नं.-66, क्वा. नं.-7 डी, सेक्टर-6 भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम ए लता था जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है। मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं, उनके सर्विस रिकार्ड व मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम लता दर्ज है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम मल्लारेड्डी लता रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे मल्लारेड्डी लता (MALLAREDDY LATA) ध. प. श्री राजेश्वर राव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

ए लता (A LATA)
लता (LATA)
पति- श्री राजेश्वर राव
निवासी-सड़क नं.-66,
क्वा. नं.-7 डी,
सेक्टर-6, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

मल्लारेड्डी लता
(MALLAREDDY LATA)
पति- श्री राजेश्वर राव
निवासी-सड़क नं.-66,
क्वा. नं.-7 डी,
सेक्टर-6, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, उदे सिंह हिड़को आत्मज स्व. फूल सिंह, उम्र 52 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-13 के., रिसाली सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम उदे सिंह (UDE SINGH) दर्ज है जो कि अपूर्ण है। जबकि मेरा पूर्ण नाम उदे सिंह हिड़को है, जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। मैं अपने सर्विस रिकार्ड में मेरे नाम को परिवर्तित कर, पूर्ण नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे उदे सिंह हिड़को (UDE SINGH HIDKO) आत्मज स्व. फूल सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

उदे सिंह
(UDE SINGH)
पिता-स्व. फूल सिंह
निवासी-क्वा. नं.-13 के.,
रिसाली सेक्टर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

उदे सिंह हिड़को
(UDE SINGH HIDKO)
पिता-स्व. फूल सिंह
निवासी-क्वा. नं.-13 के.,
रिसाली सेक्टर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कनकलता मसीह आत्मजा स्व. पुनवा मसीह, उम्र 75 वर्ष निवासी-क्वा. नं.-1 डी., सड़क-9, सेक्टर-1 भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के शिक्षा विभाग में कार्यरत थी मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम कनकलता मसीह दर्ज हैं। मेरा विवाह श्री राजेन्द्र कुमार सिंह के साथ संपन्न हुआ, पश्चात् मेरा नाम कलकलता सिंह हो गया। जो कि मेरे पेनकार्ड, आधार कार्ड व सर्विस रिकार्ड में दर्ज है। दिनांक 10-08-1995 को मेरे पति का स्वर्गवास हो चुका है। मैंने अपने नाम को परिवर्तित कर पूर्व नाम कनकलता मसीह रख ली हूँ। तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे कनकलता मसीह आत्मजा स्व. पुनवा मसीह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

कनकलता सिंह
पति-स्व. राजेन्द्र कुमार सिंह
निवासी-क्वा. नं. 1 डी.,
सड़क-9 सेक्टर-1, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

कनकलता मसीह
(Kanaklata Masih)
पिता-स्व. पुनवा मसीह
निवासी-क्वा. नं. 1 डी.,
सड़क-9 सेक्टर-1, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ अल्टरनेटिव मेडिसीन लोरमी, जिला मुंगेली (छ. ग.)

मुंगेली, दिनांक 15 जून 2020

काउंसिल स्थापना के मुख्य उद्देशिका 2020

नियम संख्या :- सी. सी. ए. एम./प्रकाशन/2020/जून/02

01. काउंसिल का नाम :- “छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ अल्टरनेटिव मेडिसीन” होगा.
02. पंजीकृत कार्यालय :- लोरमी, जिला मुंगेली छ. ग. में स्थित होगा.
03. प्रधान कार्यालय :- रायपुर छ. ग. में स्थित होगा.
04. काउंसिल के उद्देश्य :-
 - I. वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली जैसे - योगा, नेचरोपैथी, एक्युप्रेसर, एक्युपंचर, चुम्बक चिकित्सा, इलेक्ट्रोपैथी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, बायोकेमी, मसाज, गौ पैथी एवं अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का व्यापक प्रचार प्रसार करना एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करना.
 - II. वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली जैसे - योगा, नेचरोपैथी, एक्युप्रेसर, एक्युपंचर, चुम्बक चिकित्सा, इलेक्ट्रोपैथी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, बायोकेमी, मसाज, गौ पैथी एवं अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का शोध कार्य करना एवं शोध करने वाले व्यक्ति या संस्थान को मदद करना.
 - III. वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली जैसे - योगा, नेचरोपैथी, एक्युप्रेसर, एक्युपंचर, चुम्बक चिकित्सा, इलेक्ट्रोपैथी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, बायोकेमी, मसाज, गौ पैथी एवं अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में समकक्ष प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों का संचालन करना एवं उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं एवं चिकित्सकों का सुचीकरण करना एवं उनको प्रमाण पत्र जारी करना.
 - IV. इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का शिक्षण प्रशिक्षण एवं शोध कार्य करना एवं समकक्ष प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम करना.
 - V. अनुभवी चिकित्सकों, वनऔषधि चिकित्सा अनुभवीयों, परंपरागत चिकित्सकों का सुचीकरण करना एवं इनके लिए उपयुक्त प्रशिक्षण एवं प्रमाण पत्र प्रदान करना.
 - VI. कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को उचित प्रशिक्षण प्रदान करना एवं प्रमाण पत्र प्रदान करना एवं सूचीकरण करना.
 - VII. स्वास्थ्य मितानियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान कर प्रमाण प्रदान करना.
 - VIII. शैक्षणिक जागरूकता के कार्य करना, इसके लिए प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल एवं मेडिकल प्रशिक्षण संस्थान, आई. टी. आई. एवं कालेज खोलकर संचालित करना.
 - IX. कौशल विकास प्रशिक्षण समाज के सभी वर्गों को प्रदान करना.

- X. प्रोफेशनल एवं वोकेशनल प्रशिक्षण कोर्स का संचालन करना.
- XI. स्वास्थ्य जागरूकता के कार्य करना, इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं शिविर का आयोजन करना एवं जनभागीदारी एवं सहयोग से अस्पताल एवं आश्रम का संचालन करना.
- XII. कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, कोचिंग सेंटर, प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर, इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेंटर, जॉब प्लेसमेंट सेंटर खोलकर संचालित करना.
- XIII. काउंसिल में संचालित सभी पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए विभिन्न संस्थाओं को संबद्धता प्रदान करना.
- XIV. शैक्षणिक, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण के विषयों पर सेमीनार, वर्कशाप, कान्फ्रेंस आयोजित करना.
- XV. जनहित में शासन द्वारा संचालित सभी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करना एवं लाभार्थियों को लाभ लेने के लिए प्रेरित करना, साथ ही लाभ लेने के लिए में प्रक्रियाओं को पूरा करने में सहयोग करना.
- XVI. विधिक सहायता केंद्र खोलकर जरूरतमंद लोगों को सहायता/विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान करना.
- XVII. प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल की नियमित/पत्राचार/ओपन एवं आन डिमांड मोड पर अध्ययन सम्पन्न कराना एवं समकक्ष परीक्षा आयोजित कर प्रमाण पत्र प्रदान करना. राज्य एवं देश भर के विद्यालयों को संबद्धता प्रदान करना, विकासखंड स्तर पर अध्ययन केंद्र खोलकर संचालित करना एवं उक्त पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार करना.
- XVIII. छत्तीसगढ़ी भाषा में प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल की नियमित/पत्राचार/ओपन एवं आन डिमांड मोड पर अध्ययन सम्पन्न कराना एवं समकक्ष परीक्षा आयोजित कर प्रमाण पत्र प्रदान करना. राज्य एवं देश भर के विद्यालयों को संबद्धता प्रदान करना, विकासखंड स्तर पर अध्ययन केंद्र खोलकर संचालित करना एवं उक्त पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार करना. छत्तीसगढ़ी राज भाषा आयोग से वांछित सहयोग लेकर.
- XIX. प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल की समकक्ष परीक्षा आयोजित करने के संबंध में पारस्परिकता के आधार पर कोबसे मेंबर बोर्ड/काउंसिल/विवि को समकक्षता देना और समकक्षता लेना.
- XX. शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार करना, शाला त्यागी बच्चों, महिलाओं, पुरुषों एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को कंडिका 4 (x, xi, xii) में शामिल कर उनका उत्थान करना.
- XXI. मेडिकल, इंजीनियरिंग, फायर सेफ्टी, पैरामेडिकल, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, कम्प्यूटर हार्डवेयर साफ्टवेयर में समकक्ष प्रमाण पत्र परीक्षा आयोजित कर प्रमाण पत्र जारी करना एवं कोर्स का संचालन करना.
- XXII. नशा मुक्ति केंद्र, अनाथालय, वृद्ध आश्रम, महिला गृह, बाल आश्रम, काउंसिलिंग सेंटर, सलाह एवं मार्गदर्शन केंद्र एवं समाज कल्याण संस्थान खोलकर संचालित करना.
- XXIII. अल्प संख्यक वर्गों के हितों की रक्षा करना, उनके लिए शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कालेज, प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल खोलकर संचालित करना.
- XXIV. विकलांगों एवं मुकबधिरों के लिए कृत्रिम अंगों की व्यवस्था कर वितरण करना. उन्हें रोजगार उन्मुखी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना एवं उनके लिए विशेष विद्यालय खोलकर संचालित करना.
- XXV. भारतीय संस्कृति, मूल्यों के संवर्धन के लिए गीत, संगीत, नृत्यों, पोशाकों, भाषाओं एवं लिपियों के विकास पर कार्य करना. इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं परीक्षा आयोजन करना. एवं 4 (x, xi, xii) के सिलेबस में शामिल करना.
- XXVI. छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास एवं उन्नयन के लिए कार्य करना, लिपिबद्ध करना, शोध करना एवं छत्तीसगढ़ी भाषा पर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र कोर्स चलाना एवं प्रथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र समकक्ष परीक्षा आयोजित कर प्रमाण पत्र देना.

- XXVII. पुस्तकें, पत्रिकाएं एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन एवं वितरण करना.
- XXVIII. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक वर्ग, गरीब एवं विकलांग प्रतिभावान बच्चों को पढ़ाई में सहयोग प्रदान करना, पुस्तकें प्रदान करना.
- XXIX. मंदिर, मस्जिद, चर्च एवं गुरुद्वारा निर्माण कराना अथवा निर्माण में सहयोग करना. साथ ही वहां सामुहिक भोज एवं धार्मिक आयोजन, करना एवं सहयोग करना.
- XXX. रोजगार उन्मुखी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर की खोज करना एवं रोजगार पैदा करना.
- XXXI. स्कूल, कालेज, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल भवन बनाना एवं बनने में सहयोग देना एवं बनने उपरांत संचालित करना.
- XXXII. संस्थान के संचालन एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शुल्क, दान, अनुदान, सी. एस. आर., नगदी, चल अचल संपत्ति प्राप्त करना.
- XXXIII. मानव अधिकार संरक्षण के कार्य करना एवं विधिक जागरूकता एवं सहायता प्रदान करना.
- XXXIV. अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन करना एवं इनके हितों की रक्षा करना.

05. उद्देश्यों को बदलने की शक्ति :-

काउंसिल कभी भी किसी भी उद्देश्य को हटा सकती है और कभी भी कोई नया उद्देश्य जोड़ सकता है. किसी भी नियम शर्त में परिवर्तन बिना किसी पूर्व सूचना एवं सुझाव आमंत्रित किये कर सकती है, जिसे सभी संबंधित व्यक्ति एवं संस्थान एवं छात्र/छात्राओं पर लागू होगा.

नोट :- किसी भी नियम शर्त के संशोधन के संबंध में अपना आपत्ति या सुझाव दो प्रतियों में राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक 15 दिवस के भीतर स्वयं या मुख्तियार के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, बाद में विचार नहीं किया जावेगा.

डी. पी. जोशी
सचिव.